



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक- 2301 / 12-1 : देहरादून: दिनांक: 22 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय- जनपद पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सुदृढीकरण हेतु 4.335 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।  
(Online No. FP/UK/ROAD/67274/2020)

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू.सी.पी. /06/20 /2022/एफ.सी/155 दिनांक-26.04.2024.

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रशस्त प्रकरण में 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है, जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्र संख्या 2135/12-1(2) दिनांक 25-02-2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	As per DSS analysis, the proposed diversion area comes to 6.40 ha instead of 4.335 ha. A revised KML file of proposed diversion area shall be submitted.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विशयक मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित कुल भूमि का क्षेत्रफल 6.540 है0 है, जिसमें राज्य /सिविल भूमि का क्षेत्रफल 4.095 है0 एवं मलवा निस्तारण में राज्य/सिविल भूमि का क्षेत्रफल 0.240 है0 है तथा शेष नाप भूमि का क्षेत्रफल 2.205 है0 है। अतः उक्त मोटर मार्ग में कुल 4.335 है0 वन भूमि प्रस्तावित है, जिसकी संशोधित KML file upload कर दी गई है।
2	CWLW certified that the proposal diversion area is 1.10 KM away from ASkot Musk Deer WLS and area not covers under EIA 2006 but as per DSS analysis, the proposed diversion area falls in Askot Musk Deer WLS and in that case submission of NBWL Clearance is mandatroy. State Government is requested to do the needful in this regard.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षेत्र का वन क्षेत्राधिकारी, अस्कोट के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसकी आख्यानुसार उक्त चयनित क्षेत्र अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से बाहर है। मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, देहरादून के पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित क्षेत्र की अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी 1.1 किमी0 आंकलित की गयी है एवं प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा भी प्रकरण के सम्बन्ध एन0ओ0सी0 प्रदान की गयी है। संलग्नक-01

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रशस्त प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रोत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2301 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।  
Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397  
पत्रांक - 2135 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25-02-2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैयापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी 9.4 से 16.4 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण प्रस्ताव में समरेखन के संयुक्त निरीक्षण के संबंध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र संख्या- 8बी/यू0सी0पी0/06/20/2022/ एफ0सी0/दि0 26.04.2024

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़, के पत्रांक- 4698/12-1 दिनांक-17.02.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।  
संलग्न- (तीन प्रतियों में)।

भवदीय

(डॉ. धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

o/c

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com, Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 4698 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 17 फरवरी, 2024 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ युक्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैयापीड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी 9.4 से 16.4 तक चौड़ीकरण/सुपुड़ीकरण प्रस्ताव में सामंखन के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र सं 83/सू0सी0पी0/06/20/2022/एफसी0 दिनांक 26.04.2024 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 82/बिउकुल/पी0एग0जी0एस0वाई(मदकोट)-बलुवाकोट/24-25 दिनांक 11.02.2025 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण में भारत सरकार द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है-

क्र०सं०	आपत्तियों	निराकरण
1	As per DSS analysis, the proposed diversion area comes to 6.40 ha instead of 4.335 ha. A revised KML file of proposed diversion area shall be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विषयक मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित कुल भूमि का क्षेत्रफल 6.540 हे० है, जिसमें राज्य/ सिविल भूमि का क्षेत्रफल 4.095 हे० एवं मलवा निस्तारण में राज्य/सिविल भूमि का क्षेत्रफल 0.240 हे० है तथा शेष नाप भूमि का क्षेत्रफल 2.205 हे० है। अतः उक्त मोटर मार्ग में कुल 4.335 हे० वन भूमि प्रस्तावित है, जिसकी संशोधित KML File Upload कर दी गई है।
2	CWLW certified that the proposed diversion area is 1.10 KM away from Askot Musk Deer WLS and area not covers under EIA 2006 but as per DSS analysis, the proposed diversion area falls in Askot Musk Deer WLS and in that case submission of NBWL clearance is mandatory. State Government is requested to do the needful in this	बिन्दु सं 02 के कम में प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षेत्र का वन क्षेत्राधिकारी अस्कोट के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसकी आख्यानुसार उक्त चयनित क्षेत्र अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से बाहर है। मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण, देहरादून के पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित क्षेत्र की अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी 1.1 किमी० आंकलित की गयी है (पत्र संलग्न) तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा भी प्रकरण के सम्बन्ध एन०ओ०सी० प्रदान की गयी है (पत्र संलग्न)।

संलग्न:- यथोक्त ।

अतः उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

संख्या:- 4698 /12-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

012

## कार्यालय


"उत्तराखण्ड वन-सदैव आपके साथ"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-1148 / 32-1-2 (जी.आई.एरा.) दिनांक: देहरादून 30, दिसम्बर 2020

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0  
अस्कोट (पिथौरागढ़)।

विषय :-

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट में प्रस्तावित विभिन्न मोटर मार्गों के मृग विहार से हवाई दूरी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 1954/कैश दिनांक 15-12-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित भूमि की दी गयी केएमएल फाइल से अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी निम्नानुसार आंकलित की गयी है:-

क्र. सं.	मार्ग का नाम	Aerial Distance as per GIS technique from Askot WLS
1	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 8.200 किमी)।	9.0 Km.
2	मा0मु0 घोशणा सं0 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट से पैयापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार लम्बाई 9.400 से 16.400 किमी तक।	1.1 Km.
3	मा0मु0 घोशणा सं0 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट-रौंथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण लम्बाई 0.00 से 7.075 किमी तक।	1.6 Km.
4	मा0मु0 घोशणा सं0 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.00 किमी।	395 Mt.
5	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत सेला से चल मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 7 किमी।	4.2 Km.
6	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत चल से बौन मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8 किमी।	5.2 Km.

उपरोक्तानुसार हवाई दूरी आपके द्वारा दी गयी केएमएल फाइल के अनुसार जी0आई0एस0 तकनीकी से सन्निकट आंकलित की गयी है।

श्री कोहली कृष्ण

भवदीय,

उप वन संरक्षक,  
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण  
उत्तराखण्ड, देहरादून।


File No. - 1


Project Title: Construction/Extension/Widening and Improvement of  
Baluwakot Panyapori Light Vehicle Road from Km 9.400 to  
16.400 Motor Road  
File No. : FP/UK/ROAD/67274/2020

Certificate for Applicability of Wildlife Clearance

It is certified that construction of proposed Construction/ Extension/ Widening and Improvement of Baluwakot Panyapori Light Vehicle Road from Km 9.400 to 16.400 Motor Road in Dharchula Tehsil of District Pithoragarh is an approved activity to provide connectivity to 5707 people of Baluwakot and 1743 People of Panyapodi Villages of this area. The proposed area for construction of motor road lies in the Civil soyam land, which lies within 1.10 km aerial distance of Askote Wildlife Sanctuary, has got administrative approval from Govt. of Uttarakhand vide letter no. 1314/III(2)/19-42(एमएलएओ) Dated 08 March 2019. As the proposed construction of motor road has been accorded administrative approval by the Uttarakhand State Govt., it does qualify to be an ecologically sustainable activity under Sections 38(1)(O)(b) and 38(1)(O)(g) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 as amended in 2006 and neither it is a scheduled activity requiring Environmental Clearance (EC) under EIA Notification 2006. So, the Proposal does not require any prior clearance from the Standing Committee of the National Board of Wildlife as per the Guidelines dated 16<sup>th</sup> July 2020 issued by Wildlife Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Date:

  
Divisional Forest Officer  
Pithoragarh Forest Division  
Pithoragarh

  
Chief Wildlife Warden  
Uttarakhand  
Dehradun